अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 11/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवाकर के रूप में उदग्रहणीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसी सेवा कहा गया है) के संबंध में सेवा जब ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा मीडिया कहा गया है) पर अभिलिखित है जिस पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) या इसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, ऐसे मीडिया के पैकेज जिस पर खुदरा विक्रय कीमत घोषित है, निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है कि--

(i) यथास्थिति, घरेलू उत्पादित या आयातित ऐसी मीडिया के पैकेज का, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का उदग्रहण करने या आयातित है तो, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के प्रयोजनों के लिए, मूल्य का अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क के अधीन किया गया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा मूल्य कहा गया है); और

(ii) (क) भारत में विनिर्मित ऐसे मीडिया की बाबत ऐसे मूल्य पर उत्पाद-शुल्क का समुचित शुल्क विनिर्माता, अनुलिपित्र या ऐसे साफ्टवेयर का प्रतिलिप्यधिकार धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा संदाय किया गया है ; या

(ख) भारत में आयातित ऐसे मूल्य पर, सीमाशुल्क के समुचित शुल्क, जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क का अतिरिक्त शुल्क भी है, का संदाय ऐसे मीडिया की बाबत आयातकर्ता द्वारा किया गया है ;

(iii) ऐसी सेवा से संबंधित बीजक पर सेवा प्रदाता द्वारा की गई घोषणा की ऐसे मीडिया पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत से अधिक कोई रकम उपभोक्ता से वसूल नहीं की गई है ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद,--

(i) "उत्पाद-शुल्क का समुचित शुल्क" का अभिप्राय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 और उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार जारी तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क होगा ; और

(ii) "समुचित सीमाशुल्क" का अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के किसी उपबंध और उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार जारी तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के अधीन उदग्रहणीय सीमाशुल्क होगा ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(के.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार